न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 223/2024

अनवान : –

1. मीरा पत्नी अमरसिंह जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

– **वादीया**

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादीया**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 29/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ढिलकी जाटान तहसील नोहर के खाता संख्या 140/46 की कुल 22.9600 हैक्ट भूमि में से 211/1148 हिस्सा भूमि वादीया के मृतक पुत्र सन्तलाल पुत्र अमरसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सन्तलाल पुत्र अमरसिह के नाम दर्ज है जो कि वादीया का पुत्र है सन्तलाल पुत्र अमरसिह लावल्द अविवाहित फौत हो चुका है तथा सन्तलाल पुत्र अमरसिह के एकमात्र जायज वारिस वादीया है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारीणी है। कि रोही मौजा ढिलकी जाटान तहसील नोहर के खाता संख्या 140/46 की कुल 22.9600 हैक्ट भूमि में से 211/1148 हिस्सा भूमि पर वादीया काबिज है जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई दफा कहा कि वादीया के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद [illegible] में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र संतलाल [illegible] दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:30:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीया ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीया की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान राजस्व रिकार्ड में संतलाल पुत्र अमरसिंह के नाम दर्ज है, जो कि वादीया का पुत्र है सन्तलाल पुत्र अमरसिह लावल्द अविवाहित फौत हो चुका है तथा सन्तलाल पुत्र अमरसिह के एकमात्र जायज वारिस वादीया है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारीणी है। कि रोही मौजा ढिलकी जाटान तहसील नोहर के खाता संख्या 140/46 की कुल 22.9600 हैक्ट भूमि में से 211/1148 हिस्सा भूमि पर वादीया काबिज है जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढिलकी जाटान तहसील नोहर के खाता संख्या 140/46 की कुल 22.9600 हैक्ट भूमि में से 211/1148 हिस्सा भूमि वादीया के मृतक पुत्र सन्तलाल पुत्र अमरसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादीया का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में संतलाल पुत्र अमरसिंह के नाम दर्ज है, जो कि वादीया का पुत्र है सन्तलाल पुत्र अमरसिह लावल्द अविवाहित फौत हो चुका है तथा सन्तलाल पुत्र अमरसिह के एकमात्र जायज वारिस वादीया है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारीणी है। कि रोही मौजा ढिलकी जाटान तहसील नोहर के खाता संख्या 140/46 की कुल 22.9600 हैक्ट भूमि में से 211/1148 हिस्सा भूमि पर वादीया काबिज है। वादीया द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र संतलाल पुत्र अमरसिंह के अवलोकन से स्पष्ट है कि संतलाल पुत्र अमरसिंह का देहान्त हो चुका है। वादीया द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र व शपथ पत्र बाबत सदस्य संतलाल पुत्र अमरसिंह के स्वयं वादीया के अलावा अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढिलकी जाटान तहसील नोहर के खाता संख्या 140/46 की कुल 22.9600 हैक्ट भूमि में से 211/1148 हिस्सा भूमि वादीया के मृतक पुत्र सन्तलाल पुत्र अमरसिंह का नाम कलमजद किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:30:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:30:01 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 223/2024
अनवान : –

1. मीरा पत्नी अमरसिंह जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 223 सन 2024 निर्णय दिनांक –29/05/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीया श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढिलकी जाटान तहसील नोहर के खाता संख्या 140/46 की कुल 22.9600 हैक्ट भूमि में से 211/1148 हिस्सा भूमि वादीया के मृतक पुत्र सन्तलाल पुत्र अमरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/5/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:30:01 IST
Reason: SelfAttested